## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड्

क्रमांक: 1850

दिनांक : 22-01-2021

श्रीमान् उप वन संरक्षक झालावाड़

विषयः-- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019) की अन्तिम स्वीकृति जारी करने बाबत्।

संदर्भः— आपका पत्रांक एफ 14 ( ) 2019/झालावाड़ रोडस/एफसीए/प्रमुवस/2767 दिनांक 29.09. 2020

महोदय,

time the second

उपरोक्त प्रासंगिक संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किषनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर.–227) हेतु 0.9990 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्वान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षो के पातन सहित निम्न षर्तो की पालना बिन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :–

- (अ) एफ.आर.ए. प्रति– श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा क्रमांक 1314 दिनांक 15.01.2021 को दी गई एफ.आर.ए. की प्रति।
- (ब) आपका पत्र क्रमांक 1847 दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिये चालान में दशाई गई राशि की प्रति जो वर्क्स अकाउटं मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त की गई।
- (स) सैद्धान्तिक स्वीकृतियाः-
- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।
- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

- 3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- 4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- 6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।
- 7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।
- 8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
- 9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया जायेगा।

,

2

- 10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवा दी जायेगी।
- 11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।
- 12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- 13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal)
- 14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिंट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत संख्या 5—3 / 2007— एफ.सी.दिनांक सरकार के पत्र 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
- 15. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।
  16. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

17. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरपः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

सा.नि.वि द्वारा उपरोक्त शर्तो की पालना कर दी गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि उक्त निर्माण हेतु अन्तिम स्वीकृति जारी करने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार पेज नं. 1 से 23

(आर व अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

क्रमांक :

दिनांक :

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :
  - श्रीमान् मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई)सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
  - 2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग, कोटा।
  - 3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत झालावाड़ं।

अधिशाषी सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1851

दिनांक: 22.1.21

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

> (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Offic Letter New\_1

T

क्रमांक : 1852

दिनांक: 22.1.21

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(आर.के.सीनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1853

e

दिनांक : 22.1.21

2

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(आर.कें.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

Offic Letter New\_3

क्रमांक : १८९५

दिनांक : 22.1.21

10

#### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक: 1855

e

दिनांक : 22.1.21

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल⁄वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

(आर.क.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

Offic Letter New\_5

क्रमांक : 1856

दिनांक : 22.1.21

(19

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।

> (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

क्रमांक: 1857

दिनांक: 221.21

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7

की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।

> (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक : १८४

दिनांक : 22.1.21

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।

> (आर.कॅ.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Offic Letter New\_11

क्रमांक : 1862

दिनांक : 22.1.21

(16)

#### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

> ः (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Offic Letter New\_12

क्रमांक: 1863

दिनांक : 22.1.21

(17)

#### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई—चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

> (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक: 1864

दिनांक : 22.1.21

(10)

#### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

> भ (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

क्रमांक: 1865

दिनांक : 22.1.21

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1866

दिनांक : 22.1.21

2

### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

> (आर.के.सोनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

Offic Letter New\_16

क्रमांक : 1867

दिनांक : 22.1.2 1

#### अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)


कार्य का नाम :- Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)

> प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

> > कि (आर.के.सीनी) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

- t	राजस्थान सरकार	Manufacture of the second s
	क्रमांकः प. 1 (107) वन/2020 वन विभाग	दो साल से नहीं मिली कोई हिट फिल्म
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर, दिनंक:-22 OCT 2020 राजस्थान, जयपुर। विषय:- Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jaalawar for Rehabilitation of Jaalrapaten, Gindor, Railway Savier Tornent	सोनम के कॅरिअर पर एक नजर डालें तो उनकी आखिरी हिट फिल्म 'संजू' थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। 2019 में रिलीज हुई उनकी 'पज जरूरी'
5	Jaalawar for Rehabilitation of Jhalrapian, Gindor, Railway Station Thikirya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FPR/I/ROAD/43002/2019). संदर्भ:-आपका पत्रीक एफ 14 () 2019/झारावाड येड्स/एफसीए/प्रयुवस/2767 दिनोक 29.9.20	देखा तो ऐसा लगा' और 'जोया फैक्टर' दोनों ही प्लॉप रही और इस साल उनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। उन्होंने हाल ही में अपने पिता अनिल
	उपरोक्त विषयान्तर्गत मंग्रहीत मार्चन ने केले के क	कपूर का फिल्म 'एक वसस एक' में कैमियो रोल किया था पर मजेटार बात यह
1	रेलवे स्टेशन झिकरिया विज्ञानगर सांगण स्थापन स्थापन के तहते धारा-२ में झालरापाटन, तिंदौर	है कि फिल्म में उनका एक भी डायलॉग नहीं था। ऐसा उन्होंने अपने कॅरिअर में पहली बार किया है।
J.	पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर तत्र संगणतः अपित्राय पर सरकण आधानयमं द्वारा प्रस्तुतं किये गये प्रस्ताव	
	Works Department Jhalawar for Rebabilitation of Detail and in favour of Public	हस्तरव यांचे बालिका आवासीय विद्यालय टाईप ।।। सोडाक्य (स्टावा) जिला कोटा (एज.) 325004 इस्परितः : 167 नीलामी सूचना
÷.,	व्यों के पातन सहित निम्न शतों के अध्यश्रीन प्रतान करनी है.	केजीबीदी टाईप !!! छात्रावास खौडावदा इटावा में नाकारा/अनुपयोगी घोषित सामान
	<ol> <li>वन भूमि को वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।</li> <li>प्रत्यावर्तित वन भूमि को उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के नियो नहीं सिन्स</li></ol>	पुरतांधिव गुरूव पासि रू. 554024 (रूपये पांच लाख चौवन इजार चौबीस मात्र) क निरताये खुती नीलानी द्वारा छात्रावास परिसर में दिनांव्ह 04.01.2021 (सोमवार) प्रात
	3. याचक विभाग द्वारा परियाजन, क निभाण एव रख रखाय के दौरान आस पास के क्षेत्र की यनस्पतियों एवं जीव जन्मुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके साम्रण हेत समयत उपगा	11:00 बजे गठित नीलामी कमेटी द्वारा किया जायेगा। इच्युक बोलीदाता निर्धारित हिनांद एवं नियत समय पर उपस्थित होकर अमानत राग्नि रू. 500/- जमा करवाकर बोली में भाग ले सकता है। नीलामी की विस्तुत शर्ते एवं सामान का अवलोकन किसी मी कार्य दिवस
	किये जावेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किंग्-जाने व्यन्ते को दृष्टी वन विभाग की बिता पूर्वानुमति के जर्ल काय. जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेठ परिषक्ष की परिषत किंग्रांग के होतें।	को कार्यालय समय में छात्रावास परिसर में किया जा सकता है। बोलीदाता कर्म का GS
+	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	शिराहरणन्धानवार वर्ति : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
о	<ul> <li>अकार का कम्प नहां लगाया-जावगा।</li> <li>प्रयोकता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।</li> </ul>	चि कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा
	कर्पासन तरा आधूत का आपमा, ताक निकटवता बना का क्षांत न हो। 7. प्रयोकना अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूषि के अतिरिक्त आस-पास की बनभूषि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिष्टी/पत्थर काटने या भरते का कुर्य नहीं किया जावेगा।	कर्माकः एफ-11/लॉटरी/2020/ दिनांकः 28.12.2020
	अ प्रधान गण्डा राष्ट्र भार भारता भा मरत का वृष्य नहा किया जायगा। 8. प्रस्तावित स्थल के आसु पास वन्यन्त्रीवी के आवाणमन हेतु तोन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारत है जिनको प्रयोबता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बडे शाकाहारी वन्वजीवों के आवाणमन हेतु)	विज्ञप्ति
3	पुनः निर्माणं करवायेगी। पुनः निर्माणं करवायेगी। 9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर बन खण्ड लोटियाझीर से सौ भीटर की दो एमपोटी का निर्माण	नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना के आवास मय पशु बाडा में सर्वे सूची के अनुसार प्राप्त
	करवायेगी 10. प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास बन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और	आवेदनों की लॉटरी दिनांक 21.12. 2020 न्यास परिसर में निकाली जा चुकी
	भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आस पास वन भूमि की फेंसिस करवायेगी।	है। न्यास द्वारा दिनांक 29.12.2020 एवं 30.12.2020 समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक आवंटन पत्र वितरण एवं बैंक ऋण हेतु शिविर
1	11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	का आयोजन किया जा रहा है। अतः योजना के सफल आवंटियों को सूचित किया जाता है कि न्यास परिसर में उपस्थित होकर आवंटन पत्र प्राप्त कर लेवें।
	<ol> <li>प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तया दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।</li> <li>प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृश्चों का पातन होने पर 100 वृश्चे तथा</li> </ol>	जो आवटी बैंक ऋण लेने के इच्छक है वे आवंटी न्यास परिसर में
	13. प्रयाक्ती आभकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा युन्द से 10 वृक्ष का भावन के पर 10 वृक्ष भाषा 10 से अभिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का बुझारोपण एवं 10 वर्षों तक रखराखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों	आयोजित शिविर में इन्डसइंड बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही निम्नांकि्त मूल एवं स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति साथ
1.	को समाहित करते हुये गीरी बेक्योर्टन तर्भवा जापना हुन हुनु सामान जापना हुने के कि Monitoring of को समाहित करते हुये गीरी बेक्योर्टन OSMFWP (Online Submission of Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) इस स्नित ई-चालाने इस जमा की जायेगी।	लावें।
Ċ.,	14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटोशन (1सविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई प्रायंग्व्या 546 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनोंक	a antimized
4	05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार	3, पेन कार्ड
	शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवधन तथा योजना प्राधिकरण के व्यार्थ निवस के वेवार्थन CSMEWP दारा सजित ई-चालान दारा जमा करायी जायेगी। जिसके	4. बैंक स्टेटमंट 12 माह
	के तदय निकाय के भयारिश (SAN मा) के प्रयोध प्रयोग के कि प्रमार्थ के प्राय के कि चालान/यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर को छाया प्रति, सोंदा सैद्धानिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवर्रण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
1	गई राश का मदवार विवरण हो ) भाषत का जाए, तवाराता वायवा स्वयंगा से का का का 15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार	RAIEEV
. i	जमा की जाएगी। 14 गज्य स्थलगर द्वारा दी गई इस अनमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण	NINIO NINIV(N)/P H/9090/1648-55
	मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सर्कगा।	The MCK invites uncondition
	दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनाशचत की जाव तथा प्रकरण न	
	जारा स्वाकृति को यूजर एजसा हरना पर अवता के नजाता हुए जाता स्वाकृति को प्रतिया स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतिया स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय	Name of work 1
	DIPR/C/10005/20 (बी. प्रवीण) शासन सचिव	
i.	कार्यालय नगर विकास न्या	Manual Segregation of waste on all Transfer
	CAD सकिल के पास कोट	state of the second
۰.	केन् 🛛 फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: urbab.rajasth	दिनाक:-07.12.2020 the name of Anyukta Nag
٠.	एफ 11/नीलामी/2020/2759 ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदन	ते का अवसर 2. The provisions of RTPP Ac
	ई-अाक्शन के माध्यम से मुख्य छ स्वरादन नगर विकास-वास हारा ई-ऑक्शन के माध्यम से पं. मदन मोहन मालवीव फार्म हाउन वो को नीलाम किया जा रहा है। वह भुवण्ड एन.एव. 12, 200' फीट पर स्थित है। वह भुवण्ड को नीलाम किया जा रहा है। वह भुवण्ड एन.एव. 12, 200' फीट पर स्थित है। वह भुवण्ड	जना में देखे जनपुरा ने प्रता में ही त्याना दास की नव विकसित फार्म हाउस वोजना the RTPP Act 2012 and Rul
	एव आर टा आ. आएस क समाप रियेत हो पर निय कराय	11 00 बर्ज से बास होगा तथा दिनाक 31-12-
5. 2	आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है। ई-ओंक्शन का आरम्म दिनाक 29-12-2020 प्राव 2020 को दोपहर 1.00 बजे समाप्त हो जाएगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः 'बीली विस्तार नहीं होने 2020 को दोपहर 1.00 बजे समाप्त हो जाएगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः 'बीली विस्तार नहीं होने	कीरिश्वविमें) निवय/ शतै एवं अन्द्रजानकारी
. 1	urban.rajasthan.gov.in/uitkota va udnomine.rajasthan.gov.in/uitkota va	moort-01412560211) पर सम्पर्क करें।
	प्राव ही जा सहती है अथवा दूरगाइ 0744-2500539/(Helphine For Onine So ई-ऑक्शन के माध्यम से न्यास की पं. मदन मोहन मालव खोड़ा जनपुरा में प्रेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल	वीख फॉर्म हाउस योजना (1600 वर्जमीटर)
		नीलामी दर:- 30000/- प्र.व.मी. त्वास कोटा में S.S.O. आईडी के माध्यम
		नारपाना ५२. २००००७/ २२.५५.११ स्वी. धराहर राशि:- 960000/ - आईडी के माय्यम से लॉगडन करना सेगा। ई की किरतुत धर्त बुआईटी कोटा की वेबसाईट
	आरक्षित दरः- 3500/- प्र.व	न्यात कार्य में अप्रिय करना होगा। इ
		त्वार काय में लॉगइन करना होगा। इ आईडी के माध्यम से लॉगइन करना होगा। इ की किरतृत धर्त युआईटी कोटा की वेबसाईट

100.00



## कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़ क्रमांक:- 1847 दिनांक:- २२-(१)२०२)

श्रीमान उप वन संरक्षक झालावाड़

> विषयः- Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhirniya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Proposal Number FP/RJ/Road/43002/2019. प्रसंगः- आपका पत्र क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2020-21/233 दिनांक 12.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhirniya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) का संशोधित डिमाण्ड नोट राशि रू. 769330 / – का जारी किया गया था। उक्त डिमाण्ड नोट टी.वी. नं. 58933 दिनांक 21.01.2021 से राजस्थान केम्पा में ऑन लाईन जमा करा दी गई है (ट्रेजरी वाउचर प्रति संलग्न)।

प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो की पूर्ण पालना कर अग्रिम कार्यवाही हेतु

प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

D)

(आर.के. सीनी) अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

E.My Document/E.E. Sir/Hindi letter.do

210

Allocations v/s Expenditures Treasury Processing Add New Transaction Reports Treasury Vouchers Circulars Manual Logo Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAMPA ,Bill Created From: 01-01-2021 to 22-01-2021 )								easury Bill Mer	u			(
Date: 22-Jan-2021       Active Users: 277 , Auto Logout after 19:56Minutes       Logged in by: audit.16598       Circulars       Manual       Logout         aster       Options       Allocations v/s Expenditures       Treasury Processing       Add New Transaction       Reports         Treasury Vouchers       Critteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAMPA, Bill Created From: 01-01-2021 to 22-01-2021 to       Solect critteria age         RefNo       BilliDate       BilliNo/GRNNo       BillType       Budget Head       GrossAmt       VendorName       NetAmt       TVNo/ChallanNo       TV Date       When Udpated From         2517819       18/01/2021       10724       Vendor Payment       3054-04-800-02-01-21-       769330       CAMPA       769330       58933       21/01/2021       Passed				unic wor	ks Departm	ONITORING SY nent, Jaipur	STEM				.i	.h.h. h
RefNo         BillDate         BillO3 (No/GRNNo)         BillType         Budget Head         GrossAmt         VendorName         NetAmt         TVNo/ChallanNo         TVDate         When Udpated From PayManager           2517819         18/01/2021         10724         Vendor Payment         3054-04-800-02-01-21- V-P         769330         RAJASTHAN CAMPA         769330         58933         21/01/2021         Passed	aster	r Ol			Ac Expenditures	Freasury Processing	Add New Tra	66Minutes	Ver	rsion:	16598 Circu	lars Manual Logor
RefNo         BillDate         BillO3 (No/GRNNo)         BillType         Budget Head         GrossAmt         VendorName         NetAmt         TVNo/ChallanNo         TVDate         When Udpated From PayManager           2517819         18/01/2021         10724         Vendor Payment         3054-04-800-02-01-21- V-P         769330         RAJASTHAN CAMPA         769330         58933         21/01/2021         Passed				Treasury Vouc	hers (Criteria: Ve	ndorType: Others, Ven	idor: RAJAST	HAN CAMPA ,B	ill Created	From: 01-01-202	1 to 22-01-20	Select criteria aga
2517819         18/01/2021         10724         Vendor Payment         3054-04-800-02-01-21- V-P         769330         RAJASTHAN CAMPA         769330         58933         21/01/2021         Passed	R	efNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt					When Udpated From
	251	17819	18/01/2021	10724	Vendor Payment Bill	3054-04-800-02-01-21- V-P	769330					
	7				<b>Na Na 199</b>							

### कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () एफसीए / उवसं / 2020-21/233

दिनांकः 12/01/2021

निमित :-

अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड--प्रथम, झालावाड़,।

### विषय :- Rehabilitation of jhalrapatan ,Gindor,Railway station

#### Jhikriya, Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) PROPOSAL NUMBER (FP/RJ/ROAD /43002 /2019)

√ संदर्भ :- शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार का पत्रांक प. 1(107) वन / 2020 दिनांक 22.10.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 10852 दिनांक 10.11.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र जो कि आपको भी भुष्ठांकित है से शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण की सैद्वांतिक स्वीकृति शर्ताधीन जारी की गयी है। सैद्वांतिक स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। वर्तमान में श्रमिक दर में 213/-रू से 225/-रू हो गई है। अतः श्रमिक दर 225/-रू के अनुसार संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र. स.	शर्त संख्या	मद	पूर्व में मांग राशि श्रगिक दर में 213/-रू	संशोधित मांग राशि श्रमिक दर में 225/–रू	शुद्ध देय राशि
1	शर्त संख्या 13	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.999 @ 144100	136693	143956	143956
2	शर्त संख्या 14	एनपीवी की राशि 0.999 @ 626000	625374	-	625374
-		<u></u>		4	769330

कुल देय राशि– सात लाख उनसत्तर हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र

अतः आप उक्त राशि कॅम्पा अकाउन्ट में ऑनलाईन जमा करवाकर प्रकरण की सैद्वांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो की पुर्ण पालना सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

> (हेमन्त सिंहे IFS) उप वन संरक्षक झालावाड़ दिनांकः

उप वन संरक्षक झालावांड

क्रमांक एफ () एफसीए/ उचरां/2020-21/ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान। 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।

Deprin

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

### FORM-1

## (For linear projects)

### Government of Rajasthan Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having FC (pt.) values 5 million of Forest Bighte) Act 2005 under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain diverted for non-neuronal diverted in the stretch stretch of the s in favour of Executive Engineer Public work Department Div Jhalawar for construction of Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) in Jhalawar District falls within jurisdiction of Jhalrapatan & Ganwari village(s) in Jhalrapatan tehsils.

is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.999 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sbha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl :- As above

1314

Signature

(District Collector & Disrtrict Magistrate)

Jhalawar

Date 15.1.2021

(District Collector & Disrtrict Magistrate)

Jhalawar

Copy to the Executive Engineer PWD Div. Jhalawar for N/A

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ दिनांक:-9 5 202.2

क्रमांक:- 337 श्रीमान उपवन संरक्षक झालावाड

> विषय:- Diversion of 0.9990 ha. of forest land in fovour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).

प्रसंगः—आपके पत्रांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2021–22/755 दिनांक 08.02.2022 महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई Diversion of 0.9990 ha. of forest land in fovour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019). वन भूमि प्रत्यावर्तन की अन्तिम स्वीकृति हेतु शर्त संख्या 8,9 व 10 की पूर्ण पालना सादर प्रस्तुत है।

शर्त संख्या	बिन्दु	पालना
8	प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्य जीवो के आवागमन हेतु तीन अण्डरपास जो की पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता ऐजेन्सी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्य जीवो के	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा 3 अण्डरपास का निर्माण करवा दिया गया है। फोटोग्राफ संलग्न है।
9	आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी। प्रयोक्ता ऐजेन्सी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटिया झीर से 100 मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।	
10	प्रयोक्ता ऐजेन्सी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिकमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आसपास वन भूमि की फेंसिंग करवायेगी।	वर्तमान में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आस–पास वन भमि की फेंसिग

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

क्रमांक :- 332

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड 

भवदीय

(आर.के.सोनी)

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत झालावाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रस्तत है।

अधिशाषी अभियन्ता सा नि.वि. खण्ड झालावाड

d:\2021-22\office 2021-22\office 2021-22\division\all letter\cb letter (s bhatkariya).docx

286 | Page











